न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 4/2020
निर्णय दिनांक : 15.09.2021

1. गणेश नारायण पुत्र रामेश्वर
2. गोपाल पुत्र रामेश्वर
3. सीताराम पुत्र रामेश्वर

समस्त जाति–बागड़ा ब्राहम्ण निवासी–ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

बनाम

1. प्रभुनारायण पुत्र रामकरण
2. बाबूलाल पुत्र रामकरण
3. लक्ष्मी नारायण पुत्र रामकरण
4. लाली पुत्री रामकरण
5. सीमा पुत्री रामकरण
   - 6/1. दिनेश पुत्र भंवरलाल
   - 6/2. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल
   - 6/3. रामप्रकाश पुत्र भंवरलाल
   - 6/4. विमला पत्नी भंवरलाल
7. राकेश पुत्र कन्हैयालाल
8. राजेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल

   समस्त जाति–बागड़ा ब्राहम्ण निवासी–ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थन पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है आराजी भूमि खसरा नम्बर 4824 रकबा 0.5900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4827 रकबा 0.3600 हैक्टयर , खसरा नम्बर 4828 रकबा 0.4600 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.4100 हैक्टयर वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका भू अ.नि.क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है तथा उक्त भूमि के चारो तरफ पक्की डोल कायम कर रखी है तथा उक्त भूमि के चारो तरफ तारबंदी भी करवा रखी है। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान व पत्थरगढी का श्रीमान तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाते हुये पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करे। तहसीलदार ने उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की मौजूदगी में दिनांक 04.11.2020 को मौके पर सीमा चिन्ह कायम कर दिये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त सीमा चिन्ह को मानने से इन्कार कर दिया तथा प्रार्थीगण की मेड को तोड़ दिया तथा प्रार्थीगण ने उक्त खसरा नम्बरान् की जमीन पर मेड लगाकर तारबन्दी करवा रखी थी उसको तोड़ दिया। उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की आराजी भूमि पर तारबन्दी कर रखी है एवं पुख्ता डोल भी लगा रखी है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 ऐन केन प्रकारेण प्रार्थीगण की जमीन पर कब्जा करना चाहते है जिसके लिए उन्होने हल्का पटवारी द्वारा कायम किये गये सीमा चिन्ह को मानने से इन्कार कर दिया तथा प्रार्थी की डोल को तोड़ कर , कब्जा करने का प्रयास में लगे हुये है इस कारण से प्रार्थीगण की ओर से माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:43:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम का पेश करना लाजमी हुआ है। प्रार्थीगण मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के अभिलिखित खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण 04.11.2020 के पश्चात अलग अलग दिनों में प्रार्थीगण की मेडबन्दी तोड़ने की कोशिश करने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित है का वर्तमान राजस्व नक्शे के आधार पर ही सीमाज्ञान करवाया जाकर तदनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 9 को प्रदान करते हुए उक्त आशय की तहरीर जारी करने की कृपा करे। अन्य अनुतोष जो प्रार्थीगण के हित में हो वह भी प्रार्थीगण के पक्ष में पारित करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 01.04.2021 को एडवोकेट वीरेन्द्र कुमार की ओर से अप्रार्थी संख्या एक लगायत 8 की यू0टी0 पेश की। दिनांक 15.07.2021 को प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 6 भंवरलाल का देहान्त दिनांक 12.05.2019 को होना जाहिर करते हुए प्रा0 पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का पेश किया। नकल अप्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा. पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार करने हेतु अनापत्ति जाहिर की। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया गया। दिनांक 29.07.2021 को प्रार्थीगण अधिवक्ता ने संशोधित उनवान पेश किया जो पत्रावली में शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 6/1 लगायत 6/4 की ओर से एडवोकेट वीरेन्द्र कुमार ने यू0टी0 दी। दिनांक 04.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि के राजस्व नक्शे के अनुसार पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

बहस उभयपक्षकारान दिनांक 15.09.2021 को सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 ने प्रार्थना पत्र. में पेश जवाब को दौहराते हुये कहा कि कृषि भूमि के राजस्व नक्शे के अनुसार पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नही है। हमने बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका त0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 4824 रकबा 0.5900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4827 रकबा 0.3600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4828 रकबा 0.46[illegible] का तह0 सांगानेर के सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक [illegible] कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:43:42 IST
Reason: SelfAttested